निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 748) पटना, मंगलवार, 31 अगस्त 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

26 अगस्त 2021

lE 06@¼Mkbfox Vfux Ldy½&05@2021&5321—सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्याः–394 (अ), दिनांक–07.06.2021 निर्गत करते हुए उत्कृष्ट कोटि के चालन प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रत्यायन (accreditation) प्रदान करने हेतु कतिपय मापदंड निर्धारित किये गये हैं।

उक्त निर्धारित मापदंडों के आधार पर चालक प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रत्यायन (accreditation) प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति/नवीकरण के संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम–31 (ख) (2) के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार को तत्काल प्रभाव से सक्षम प्राधिकार घोषित किया जाता है। केन्द्रीय मोटर वाहन/संशोधन नियमावली, 2021 द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन करने वाले चालक प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रत्यायन (accreditation) प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों पर राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परिवहन विभाग, बिहार द्वारा विहित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यायन (accreditation) प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 748-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in